माध्यम से उनकी संतोषजनक कोटि की शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करना सरकार की नीति है । उनकी आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर निर्भर करते हुए और संसाधनों की उपलब्धता पर, राज्य सरकारें और संघ शासित प्रशासन, बच्चों को स्कूली सुविधाएं प्रदान करते हैं । केन्द्र सरकार गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के लिए आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

आपरेशन ब्लेक बोर्ड की योजना के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार, एकल शिक्षक स्कूलों में दूसरे शिक्षक के रूप में अधिमानता एक महिला शिक्षक की व्यवस्था करने के लिए सहायता और प्राथमिक स्कूलों में अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान करती है ।

(ग) वर्ष 1995 तक 5-14 वर्ष की कायु वर्ग के बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 17.93 करोड़ है ?

(घ) स्कूल में बच्चों की औसत अधिकतम संख्या से संबंधित कोई मानदंड नहीं है जिसके आधार पर खोले जाने वाले नए स्कूलों की संख्या निर्धारित की जा सके । प्राथमिक स्कूल उन बस्तियों में खोले जाने की संभावना है जहां एक स्कूल में 50 बच्चों के होने की संभावना हो । उच्च प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल आवाह के आधार पर खोले जाते हैं । स्कूलों का खोलना और स्कूलों का विस्तार और उनका स्तरोन्नत एक सतत प्रक्रिया है जो बस्तियों और जनसंख्या में वृद्धि, दाखिला में वृद्धि और बच्चों को स्कूल में रोके रखने, शैली परिवर्तन की दरों में सुधार और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त परियोजनाओं को मंजूरी

822 सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि सरकार को विभिन्न मंत्रालयों से मंजूरी के लिए बहुत सी परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी थी, जिनके संबंध में 31 मार्च, 1990 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत सी परियोजनाएं गत छः माह या उससे अधिक समय से मंजूरी प्राप्त करने हेतु, सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने का विचार रखती है जिसके द्वारा किसी भी परियोजना के संबंध में निर्णय तीन माह की अधिकतम अवधि के भीतर लिया जाएगा; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) (क) से (ग) जी, हां । 31 मार्च, 1990 तक पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लम्बित परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है । (नीचे देखिए) ।

(घ) पर्यावरण मूल्यांकन प्रक्रिया में पहले ही यह व्यवस्था है कि उन सभी परियोजनाओं के संबंध में अन्तिम निर्णय अधिकतम तीन महीने की अवधि के भीतर ले लिया जाना चाहिए जिनके बारे में पूर्ण पर्यावरणीय और वानिकी से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हों । यदि अपेक्षित पर्यावरणीय कार्य योजनाएं प्रस्तुत नहीं की जाती हैं तो प्रस्तावों को रद्द कर दिया जाता है । ऐसे मामलों पर पूर्ण ब्यौरे प्राप्त होते ही फिर से कार्यवाही की जाती है । परियोजनाओं को तभी लम्बित रखा जाता है जब अतिरिक्त आंकड़ों के शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा होती है ।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का स्वरूप	31 मार्च, 1990 को लम्बित परियोजनाओं की संख्या	छः माह से अधिक समय से लम्बित परियोजनाएं
1.	नदी घाटी परियोजनाएं	4	3
2.	उद्योग	20	16
3.	खनन	57	49
4.	ताप विद्युत परियोजना	24	14
5.	परमाणु विद्युत परियोजना	10	7
6.	पत्तन एवं बन्दरगाह तथा अन्य	19	4
		134	93

Complaints against Principal of Kendriya Vidyalaya, Gorakhpur

823. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have received some complaints against Principal of Kendriya Vidyalaya, Gorakhpur;

(b) if so, the details thereof and action taken in this regard;

(c) whether it is a fact that there have been complaints from the girls students about eve-teasing by non-student children of teachers of the Vidyalaya; and

(d) if so, the details thereof and action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) to (d) Some complaints have been received from various sources against the Principal, Kendriya Vidyalaya, Gorakhpur, alleging mal-functioning of Vidyalaya, lack of control, harassment of staff and also about eve-teasing of senior girl students of the Vidyalaya by non-student children of teachers of Vidyalaya. On receipt of these complaints, the Kendriya Vidyalaya Sangathan has already ordered an immediate investigation. Action if any, will be initiated on receipt of the report of investigation.

Preservation of Historical Monuments in Delhi

824. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of historical monuments in Delhi;

(b) the amount spent by Government on these monuments during the last three years;

(c) whether it is a fact that these monuments are decaying day by day due to improper planning and lack of maintenance; and

(d) if so, what steps are being contemplated by Government to preserve these monuments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA) (a) The historical monuments in Delhi protected by the Central Government comprise two